ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या.......... Year वर्ष..........

Versus बनाम

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Compliance of the आदेश का संक्षिप्त
1	2	
08.11.2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त / अवकाश पर होने से पत्रावली ईन्तुवा होकर दिनांक 18.11.2022 को पेश हो।	
18.11.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप.। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.11.22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
25.11.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। समय अभाव के कारण आदेश लिखा नही जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.12.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
13.12.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि ग्राम खारी खुर्द के खसरा।	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती) (5)

CNR NUMBER सी.एन.आर संख्या ....

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

.... Versus बनाम ....

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पणी
2	3
नं. 27, व 28 में विरासत नामान्तरण भरते समय प्रार्थीगण बालुराम, निम्बाराम, हीराराम, गुलाबी, गीता, माडु, शांति पिता मोहनराम के स्थान पर ~~मन~~ मोहनलाल दर्ज हो गया। जो गलत है। प्रार्थीगण के पिता के परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशनकार्ड में नाम मोहनराम है एवं प्रार्थीगण के स्वयं के दस्तावेज आधार कार्ड, परिचय पत्र में मोहनराम नाम दर्ज है। विरासत नामान्तरण भरते समय लिपिकीय त्रुटि वश मोहनराम के स्थान पर मोहनलाल दर्ज हो गया। अतः प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल से मोहनराम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करवाने का आदेश फरमावें। तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त जवाब/जांच रिपोर्ट में भी बताया कि नामान्तरण संख्या 687 दिनांक 20/6/2022 विरासत के द्वारा मोहनलाल मौत के स्थान पर सान्वरी पत्नि मोहनलाल, गुलाबी, गीता, मांडु, शान्ति पुत्री मोहनलाल निम्बाराम, बालुराम, हीराराम पिता मोहनलाल से दर्ज हुआ। प्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध करवाये गये पहचान, पत्र राशन कार्ड, में प्रार्थीगण	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Year वर्ष

Number of Case प्रकरण की संख्या

Versus बनाम

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2 के पिता का नाम मोहनराम है ग्राम खारी के खसरा नं. 27 व 28 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल के स्थान पर मोहनराम दर्ज किया जाता है तो राज्यहित प्रभावित नहीं होगा। बहस पर मनन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें ~~बिना~~ प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल के स्थान पर मोहनराम किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना-पत्र धारा 136 LR ACT स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** ~~अतः~~ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खारी खुर्द के खसरा नं. 27 व 28 में प्रार्थीगण बालुराम, गुलाबी, गीता, निम्बाराम, माडु, शांति, हीराराम पिता मोहनलाल के स्थान पर बालुराम, गुलाबी, गीता, निम्बाराम, माडु, शांति हीराराम पिता मोहनराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार बावड़ी को को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर [redacted]
[redacted] अधिकारी, [redacted]